—: निर्णय :—
(आज दिनांक 12/11/2022 को घोषित)

(1) अभियुक्त के विरूद्ध धारा 36—ग छ0ग0 आबकारी अधिनियम, 1915 के अपराध का अभियोग है।

(2) अभियुक्त की स्वेच्छापूर्वक अपराध स्वीकारोक्ति के आधार पर अभियुक्त को उक्त अपराध में दोषसिद्ध घोषित किया जाता है।

(3) अपराध की प्रकृति व स्वरूप को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त को परिवीक्षा अधिनियम का लाभ प्रदान किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतएव दंड के प्रश्न पर विचार किया गया। अभियुक्त के विरूद्ध पूर्व दोषसिद्धी का आरोप विरचित नही है। अतः आरोपी की आयु, उसके पूर्ववत्त, अपराध की प्रकृति एवं प्रकरण की समग्र परिस्थितियों पर विचार करते हुए अभियुक्त को धारा धारा 36—ग छ0ग0 आबकारी अधिनियम, 1915 के अपराध में दोषसिद्धि पर 200/— रूपये के अर्थदंड तथा अर्थदंड अदायगी में व्यतिक्रम पर 7 दिवस के साधारण कारावास से दंडित किया जाता है।

(4) प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति निरंक है/मूल्यहीन होने से अपील अवधि उपरांत विधि अनुसार नष्ट किया जावे।

(5) आरोपी द्वारा अभिरक्षा में बितायी गई अवधि निरंक है।

निर्णय दिनांकित हस्ताक्षरित
तत्पश्चात् घोषित।

सही/—
(आकांक्षा राठौर)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
पंडरिया, जिला कबीरधाम (छ.ग.)